

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मैकफेवर बनाम मवेर सिटिंग [वर्ग 1]

न मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 53 सन् 2020

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए
हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज	
<p>20 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7.7.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
<p>77 उभय पक्ष उपस्थित पीठारी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / परदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>82 उभय पक्ष उपस्थित पीठारी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / परदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.8.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>8/2 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25.8.20</p>	
<p>5/2 उभय पक्ष उपस्थित पीठारी अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अहकाम पर है / परदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित अप्पा धीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे</p>	

दिनांक

शामिल फावली किये गये। अप्राथमिक को
डिल्ली मर्तवा आवाजे पिलायी जाने उपरान्त भी
उपाक्षित नही - रून्डे बिकट एकरका कार्यवाही किये
जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्राथिया ने बयस
करणी चाही। बयस सुनी गयी वकील प्राथिया का प्रा-पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रत्युक्त से लिखा जाकर शामिल
फावली किया गया। फावली फेरल शुमार होकर नम्बर
सै कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

रासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा संख्या - 53/20 प्र.पत्र

श्रीमती मंज कंवर 108 श्री गजराज सिंह राजपूत निवासी - भगतानपुरा तहसील

-प्रार्थी

बनाम

श्री गंवर सिंह 108 गजराज सिंह गजराज निवासी - भगतानपुरा तहसील - माण्डल (कौश)
(अधिकृत प्र.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:-15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके गाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. पूहोकिर चिकले प्र.पत्र पर कुल किता 15 रकबा 25 आघा 11 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.06.20 को पंजीयत किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. पूहोकिर चिकले प्र.पत्र पर अंकित कुल किता 15 रकबा 25 आघा 11 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगतानपुरा 1300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा